पावरग्रिड POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.-**1/**आर. टी. आई.**/**2292/420 **दिनांक:**14.02.2024

सेवा में,

श्री रामकुमार चौधरी
पुत्र स्व0 चौहल सिंह उर्फ चूहड सिंह,
निवासी ग्राम लखनौता, परगना मंगलौर, तहसील रुडकी,
जिला हरिद्वार (मो. न.9719919400)

हाल पता:

श्री रामकुमार चौधरी
चौधरी भवन, डिफेंस कालोनी, मोहनापुरा मौहम्मदपुर,
परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार (मो. न.9719919400)

विषय :आपका आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 29.01.2024 के संदर्भ में ।

महोदय,

आपका आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 29.01.2024 जो कि पावरग्रिड फरीदाबाद स्थित कार्यालय में 01.02.2024 को प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में आपके द्वारा मांगी गई बिंदुवार जानकारी कृषि भूमि खाता संख्या 00265 के खसरा सं0 88/1 व 2 क्षेत्रफल 0.9830 हैक्टेयर 2013, **2014** व 2015 की जिस समयावधि के दौरान कटवाये जाने के सम्बंध में है वह निम्नलिखित है:

बिंदु न.	बिंदुसार	पावरग्रिड द्वारा जानकारी
1	यह कि पॉवर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा मौजा ग्राम बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार में लाईन बिछाने हेतु वर्ष 2013, 2014, 2015 की जिस समयावधि में जिन जिन काश्ताकारों की भूमि में को लाईन बिछायी गयी, उन प्रभावित काश्तकारों के नाम, पिता का नाम व पता व भूमि खसरा सं0 की अभिलेखीय सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	मांगी गई जानकारी प्रभावित काश्तकारों कि निजी जानकारी है जो कि आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 8(1) (जे) एवं (जी) के तहत छूट प्राप्ति के दायरे में है।
2	यह कि उक्त मौजा बेलडी साल्हापुर की जिस जिस भूमि में पॉवर ग्रिड लाईन बिछायी गयी, उस भूमि के प्रत्येक प्रभावित काश्तकार के लाईन क्षेत्र में जितने जितने पेड जिस जिस प्रजाति के	सर्वे के समय टावर या लाईन कॉरिडोर में आने वाले पेडो का रिकॉर्ड होता है लेकिन सर्वे के समय प्रभावित काश्तकार की जानकारी नही होती है

...2

	सर्वे में पाये गये, सर्वे सीट की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	यह सब जानकारी बाद में जुटाई जाती है। अत: प्रभावित काश्तकार को उनके प्रभावित पेडो के अनुसार नोटिस दिया जाता है । नोटिस में निहित जानकारी प्रभावित किसान कि निजी जानकारी है इसलिए नही दी जा सकती।
3.	यह कि उक्त सर्वे सीट के अनुसार सहखातेदारों श्री शेर सिंह, समर सिंह, ऋषिपाल पुत्रगण लालसिंह नि0 ग्राम बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार की उक्त भूमि खाता संख्या 00265 के खसरा सं0 88/1 व 2 क्षेत्रफल 0.9830 हैक्टेयर स्थित मौजा बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार में पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा विधुत पारेषन लाईन स्थापित करने के लिये उक्त भूमि में दर्शित पेडों पोपुलर, आम 95 पेड, शीशम 7 पेड, जमोया 5 पेड, कुकाट 1 पेड, लिप्टिस को वर्ष 2013, 2014, 2015 जिस समयावधि में पाये गये, उद्धरण खतौनी व सर्वे सीट की प्रामाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	खतौनी से सम्बंधित दस्तावेज प्रभावित काश्तकार के निजी रिकॉर्ड है जो आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 8(1) (जे) के तहत नही दिया जा सकता।
4	यह कि बिंदु सं0 3 के काश्तकारों की भूमि में उक्त पॉवर ग्रिड लाईन बिछाने हेतु जिस जिस प्रजाति के जितने जितने पेड, जितने-2 घनमीटर लकडी की पैमाईश के पाये गये, जिनका मुआवजा जिस आधार पर निर्धारित किया गया, कैलकुलेशन सीट की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	मांगी गई जानकारी प्रभावित काश्तकारों कि निजी जानकारी है जो कि आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 8(1) (जे) के तहत छूट प्राप्ति के दायरे में है।
5	यह कि सहखातेदारों श्री शेरसिंह, समर सिंह, ऋषिपाल पुत्रगण लालसिंह निवासी ग्राम बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार को जो उक्त क्षतिपूर्ति मुआवजा जितने जितने धनराशि का दिया गया, धनराशि, चैक संख्या दिनांक का अभिलेखीय विवरण की सूचना, जिस खातेदार/सहखातेदार के बैंक खाता में दिया।	मांगी गई जानकारी प्रभावित काश्तकारों कि निजी जानकारी है जो कि आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 8(1) (जे) के तहत छूट प्राप्ति के दायरे में है।
6	यह कि सहखातेदारों श्री शेरसिंह, समर सिंह, ऋषिपाल पुत्रगण लालसिंह निवासी ग्राम बेलडी साल्हापुर, परगना व तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार की ओर से एवं अन्य विभागों जैसे उधान विभाग, वन विभाग आदि की और से उक्त पेडों को काटने के लिये जो अनापत्ति/अनुमति प्राप्त की गयी था, जिसके आधार पर पेड काटे गये, की	आपको अवगत कराना है कि पेडो का पातन पावरग्रिड द्वारा नही किया गया है यह खुद प्रभावित काश्तकारो द्वारा किया गया है जिसके उप्रांत ही मुआवजा दिया गया है।

...3

	अभिलेखीय सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	
7	यह कि ऐसा अपुष्ट जानकारी में आया है कि उक्त सहखातेदारों ने जाली व फर्जी इंद्राज उद्धरण खतौनी में कर कराकर पॉवर ग्रिड को धोखा देकर पेडों का मुआवजा प्राप्त किया गया है, ऐसे में उक्त विधुत पारेषण लाईन स्थापित करने के लिये उक्त भूमि में खडे पेडों पोपुलर, आम 95 पेड, शीशम 7 पेड, जमोया 5 पेड, कुकाट 1 पेड, लिप्टिस को वर्ष 2013, 2014, 2015 की जिस समयावधि में दौरान सर्वे लिये गये स्थलीय फोटोग्राफ आदि की अभिलेखीय सूचना/प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।	मांगी गई जानकारी सम्बंधित कार्यालय के पास उप्लब्ध नही है।

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा,
कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1), प्रथम अपीलीय प्रधिकारी
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,
SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002, फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद |

भवदीय

[जी. पी. पयासी]
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना एवं अभियांत्रिकी)
एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, उ. क्षे. -1
फोन न.**0129-2666305**